न्यायालय- विशेष न्यायाधीश,विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत,सेंवढ़ा जिला दतिया म.प्र.

विशेष प्रकरण क्रमांक 1/2019

म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.

बनाम

कनिष्क भार्गव पिता सुरेश भार्गव निवासी ग्रामरामपुरा खुर्द थाना भगुवापुरा जिला दतिया म.प्र.

-:: आदेश ::-

14-9-2019 परिवादी म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. थरेट की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री थरेट जिला दतिया की ओर से श्री प्रमोद श्रीवास्तव अधिवक्ता एवं कनिष्ट यंत्री ने उपस्थित होकर अभियुक्त कनिष्क भार्गव पिता सुरेश भार्गव निवासी ग्राम रामपुरा खुर्द थाना भगुवापुरा के विरूद्ध परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधि.2003 के तहत पेश किया।

अभियुक्त के विरूद्ध धारा 154 विद्युत अधि. के तहत संज्ञान लिया गया।

परिवाद पत्र विद्युत अधि. के तहत विशेष प्रकरणों के रूप में सी.आई.एस. में दर्ज किया जाए।

अभियुक्त को पॉच हजार रूपए के जमानती वारंट से आहूत किया जाए।

इसी समय अभियुक्त कनिष्क भार्गव आज आयोजित नेशनल लोक अदालत की सूचना के अनुक्रम में न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त एवं परिवादी कंपनी के मध्य सुलहवार्ता आयोजित की गयी।

अतएव प्रकरण नेशनल लोक अदालत में वार्ता/राजीनामा हेतु रखा जाए।

प्रकरण नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत हो।

हस्ता-

रामकुमार डहेरिया

विशेष न्यायाधीश विद्युत अधि.2003

सेंवढ़ा जि.दतिया

पुनश्चः-

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ। परिवादी म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लिमि. की ओर से कनिष्ठ यंत्री/अधिवक्ता श्री प्रमोद श्रीवास्तव उपस्थित। अभियुक्त कनिष्क भार्गव स्वयं उपस्थित।

लोक अदालत में आज परिवादी/विद्युत कंपनी एवं अभियुक्त द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के तहत राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

परिवादी की ओर से प्रकट किया गया कि अभियुक्त द्वारा शेष समस्त विवादित विद्युत राशि 65,119/-रूपए रसीद क्रमांक 135/34/22 दिनांक 14-9-2019 पर जमा की गयी है। अतः अब परिवादी/ विद्युत कंपनी एवं अभियुक्त के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं रहा।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा स्वेच्छया पूर्वक करना प्रकट किया गया।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा विधि अनुकूल प्रतीत होता है। अभियुक्त पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अपराध का आरोप है जो कि राजीनामा योग्य अपराध है। अतः प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

राजीनामा के आधार पर अभियुक्त को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

यदि अभियुक्त के विरूद्ध वारंट जारी किया गया हो तो उसे अदम तामील वापिस बुलाया जाए।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जाए।

हस्ता-
रामकुमार डहेरिया
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधि.2003
सेंवढ़ा जि.दतिया